L. A. BILL No. XI OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NURSES ACT, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ११ सन् २०२१.

महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ में अधिकार संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता हैं :— संक्षिप्त नाम और प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र परिचारिका (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाये ।

(२) यह १९ दिसंबर २०२० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

(शा.म.मु.) एचबी ४६२ (५०—७-२०२१)

सन् १९६६ का महा. ४० की धारा ४० में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ की धारा ४० की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात :—

" परंतु यदि राज्य में कोविड १९ की महामारी के बढने के कारण इस उप-धारा के अधीन उपबंधित विस्तार अवधि के भीतर, परिषद गठित नहीं हो जाती है तो, राज्य सरकार, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि किंतु जो, कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी के लिये प्रशासक की नियुक्ति की अवधि विस्तारित कर सकेगी । " ;

प्रशासक द्वारा किये जानेवाले कृत्यों ओर बातों की विधिमान्यता ।

३. महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ की धारा ४० की, उप-धारा (३) के अधीन नियुक्ति की विस्तारित अवधि समाप्त होने के पश्चात्, प्रशासक द्वारा किये गये सभी कृत्य और की गई बातें और उणये गये सभी कदम, इस अधिनियम के **राजपत्र** में प्रकाशन की दिनांक तक, ऐसे समझा जायेंगा मानों कि उसके नियुक्ति की अवधि इसप्रकार समाप्त नहीं हो गई ऐसा समझकर वैध रूपसे की गई या ली गई है ; और किसी भी न्यायालय के कानून में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं होकर, ऐसे प्रशासक द्वारा शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के दौरान किसी कानूनी प्राधिकार के बिना ऐसे व्यक्ति या महाराष्ट्र परिचारिका परिषद के विरूद्ध केवल इस आधार पर संस्थित नहीं की जायेगी या चलायी नहीं जायेगी । सन् १९६६ का महा. ४० ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४०) नर्सो के रजिस्ट्रीकरण और प्रशिक्षण के विनियमन के लिए एकीकरण और बेहतर उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । परिचारिका अधिनियम को धारा ३, उसमें यथा विनिर्दिष्ट कतिपय पदेन सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और नामनिर्देशित सदस्यों से बने परिचारिका अधिनियम के प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र परिचर्या परिषद के गठन और सम्मिलित करने के लिये उपबंध कारती है ।

२. महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ का महा. २३) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ४० की उप-धारा (३) जोडी गई थी, जिसमें उपबंध है कि, उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किन्ही कारणों से धारा ४ की उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समेत सदस्यों की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् या, यथास्थिति धारा ४ की उक्त उप-धारा (२) के प्रथम परंतुक के अधीन मंजूर विस्तारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् परिषद गठित नहीं की जा सकती है तो, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन परिषद को प्रदत्त या अधिरोपित कियें गये सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का अनुपालन करने और कृत्यों के निर्वहन करने के लिये एक प्रशासक या प्रशासकों के बोर्ड को नियुक्त कर सकेगी, जिसकी प्रारंभिक अवधि एक वर्ष से अनाधिक की होगी और तत्पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिये इस प्रकार की कुल अवधि, कुल मिलाकर दो वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

उक्त उप-धारा (३) के अधीन, राज्य सरकारने सरकारी संकल्प, चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग, क्र. न्यायप्र-२०११/प्र.क्र.९२। अधिनियम, दिनांकित १९ दिसंबर २०१८ के अनुसार, उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन परिषद को प्रदत्त या अधिरोपित किये गये सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का अनुपालन करने और कृत्यों के निर्वहन करने के लिये प्रशासक के रूप में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, संयुक्त निदेशक एवं निदेशक की नियुक्ति की है।

संसद और महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के लिये आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण, महाराष्ट्र परिचारिका (संशोधन) अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का महा. २३) द्वारा उक्त परिषद की पुनर्रचना नहीं की जा सकीं, मार्च २०२० से कोविड-१९ महामारी द्वारा तालाबंदी के कारण और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, निदेशक, जो उक्त परिषद के प्रशासक के रूप में भी कार्यरत था, वह कोविड-१९ महामारी के नियंत्रणके प्रयोजनों के लिए लोक स्वास्थ्य विभाग की दिनांक १४ मार्च २०२० की सरकारी अधिसूचना द्वारा महामारी अधिनियम, १८९७ (सन् १८९७ का ३) के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने के कारण परिषद के निर्वाचन समय पर नहीं ले सका।

उक्त अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि, यदि प्रशासक या प्रशासक बोर्ड की पदावधिमें दो वर्षों के दौरान परिषद गठीत नहीं हो सकती है तो दो वर्षों से परे, उक्त धारा ४० की उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक या प्रशासक बोर्ड की अवधि विस्तारित करने के लिये राज्य सरकार समर्थ बन सकें।

३. इसलिये, धारा ४० की उप-धारा (३) में परंतुक जोंड़ना इष्टकर समझा गया है जो यह उपबंध करता है कि, यदि राज्य में कोविड-१९ महामारी के बढ़ने के कारण इस उप-धारा के अधीन उपबंधित अवधि के भीतर परिषद गठीत नहीं की जा सकती है तो, राज्य सरकार, एक वर्ष को अतिरिक्त अवधि किंतु जो, कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी के लिये प्रशासक की नियुक्ति की नियुक्ति की अवधि विस्तारित कर सकेगी।

४. यह भी प्रस्तावित है कि उक्त अधिनियम की धारा ४० की उप-धारा (३) के अधीन नियुक्ति कर विस्तारित अवधि समाप्त होने के पश्चात्, प्रशासक प्रस्तावित विधि के **राजपत्र** में प्रकाशन की दिनांक तक प्रशासक के रूप में इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा किये गये सभी काम और की गई बातें और उठाये गये कदम विधिमान्य होगे।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२१ ।

अमित देशमुख,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १ जुलाई, २०२१ ।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई